

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 113/2016 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

गोरखा वगैरा बनाम मानसिंह वगैरा

पीठारीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील :- श्री मुकेश जैन

विप्रार्थीगण वकील :-

निर्णय

दिनांक - 17.05.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ढोक में पेश हुई। प्रार्थी सं. 1, 2 व 5 तथा विप्रार्थी सं. 4, 6, 7 उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा मेघसिंह की ढाणी, पटवार हल्का ढोक, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 415/180 रकबा 42.10 बीघा, खसरा सं. 420/186 रकबा 58.08 बीघा, खसरा सं. 466/244 रकबा 34.15 बीघा, खसरा सं. 416/180 रकबा 10.13 बीघा, खसरा सं. 421/186 रकबा 14.11 बीघा, खसरा सं. 467/244 रकबा 08.16 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड़ड़ी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा मेघसिंह की ढाणी, पटवार हल्का ढोक, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 415/180 रकबा 42.10 बीघा, खसरा सं. 420/186 रकबा 58.08 बीघा, खसरा सं. 466/244 रकबा 34.15 बीघा, खसरा सं. 416/180 रकबा 10.13 बीघा, खसरा सं. 421/186 रकबा 14.11 बीघा, खसरा सं. 467/244 रकबा 08.16 बीघा की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दोनो पक्षों के रुबरू किसी मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो दोनो पक्षों के रुबरू विवादित भूमि की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पैमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ढोक में सुनाया गया।




(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1006

दिनांक 23/5/18

प्रार्थीगण :-

1. गोरखा पुत्र मुकना
 2. नीम्बीया पुत्र समरथा
 3. भगा पुत्र ताजीया
 4. चूनी पत्नि ताजीया
 5. कमला पुत्र बीजा
 6. पदमाराम पुत्र दीपाराम
 7. उगम पत्नि दीपाराम
 8. टीलाराम
 9. वीरमाराम
 10. शैतान पि. मूला जाति सुथार निवासी मेघसिंह की ढाणी
- तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. मानसिंह पुत्र खुशालसिंह
2. गेमरसिंह पुत्र रावतसिंह
3. कुम्पसिंह पुत्र उतमसिंह
4. सबलसिंह पुत्र नारायणसिंह
5. हिंगोलसिंह
6. कमलसिंह पि. अमरसिंह जाति पुरोहित
7. उम्मेदसिंह
8. शैतानसिंह पि. शम्भूसिंह
9. शैतानसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत
10. देवाराम
11. पप्पु पि. भीमाराम जाति सुथार
12. देवीसिंह पुत्र चतरसिंह
13. बेरीसालसिंह
14. वीरमसिंह पि. समरथसिंह जाति राजपूत निवासी मेघसिंह की ढाणी, तहसील चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 113/2016

दिनांक : 17.05.2018

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बाछडाऊ के मौजा मेघसिंह की ढाणी, पटवार हल्का ढोक, तहसील चौहटन के खेत खसरा सं. 415/180 रकबा 42.10 बीघा, खसरा सं. 420/186 रकबा 58.08 बीघा, खसरा सं. 466/244 रकबा 34.15 बीघा, खसरा सं. 416/180 रकबा 10.13 बीघा, खसरा सं. 421/186 रकबा 14.11 बीघा, खसरा सं. 467/244 रकबा 08.16 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

मौका कमिश्नर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमिश्नर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिश्नर को कमिश्नर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ 1007 to 1010
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गोरखा वगैरा
3. विप्रार्थीगण मानसिंह वगैरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेइवा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 23/5/18

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन